

समान नागरिक अधिकारों के पक्ष में, समाज के व्यापक हित के लिए जरूरी है यह पहल

संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात कही गई है। इसमें सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि की परावाह किए बगैर सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाए। ऐसी व्यवस्था बनाए, जो मानवीय गरिमा का सम्मान करता हो, उसे सुरक्षा बोध दे और सभी समाज के मानकों पर खरा उत्तर। दुर्भाग्यवश अनुच्छेद 44 की इस पवित्र मंशा को आगे बढ़ाने के बजाय हमने उस पर तार्किक बहस की बगैर उसे प्रादायिक रूप देकर असूल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का आग्रह बेकार चला गया और अदालत के निर्देशों की हेतु की गई। यह दस्तूर आज भी कायम है।



संपादकीय

दाल की खेती क्यों घटी?

दाल की खेती के इलाके अगर सिकुड़ रहे हैं, तो यह सबल बहुत गंभीर हो जाता है। यह और भी चिंताजनक कि जिसनामों को पहले बाजार से उन्हीं खरीदारी पड़ती थी, वे भी अब ऐसा करने पर मजबूर हैं। यह खबर चिंताजनक है कि बीते साल के मुकाबले भारत में धन और अरहर की खेती वाले इलाके इस साल घट गए हैं। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक धन की खेती वाले इलाके 34 फौसदी और अरहर की खेती वाले इलाके 65 फौसदी कम हो गए हैं। खरीफ के सीजन में सोयाबीन की खेती वाले इलाके भी बीते साल के मुकाबले 34 फौसदी घट गए। यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता और यात्रियों नहीं है। यानी भारत आगे मामले में अत्यनिर्भर नहीं है। ऐसी हालत में दाल की खेती के इलाकों पड़ती थी, वे भी अब ऐसा करने पर मजबूर हैं। यह हालत क्यों पैदा हुई? वजह यह है कि किसानों को अब दाल की खेती करना फायदेमंद नहीं लगता। महाराष्ट्र जैसे दाल उत्पादक राज्य में अब रोटी और ख्रीफ के सीजन के बीच के समय में उत्तरांश जाने वाली मुंग और उड़द के अवधारणा अब रोटी और तकल नकदी मिलने से किसानों में इसकी खेती के प्रति आकर्षण बढ़ा है।

वेसे तो हमारे देश में अधिकतर मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून लागू होता है। जमीन की खरीद-फोरेक्ष, किरायेदारी व दीपांगीना मामले में आजादी के पहले से ही एक जैसा कानून लागू है। पर विवाह, उत्तराधिकार, वसीनत, दत्क ग्रहण जैसे मामलों में अलग-अलग संप्रदायों के लिए अलग-अलग कानून रहे हैं। संविधान निर्माणों ने महसूस किया कि विवाह और भरण-पोषण से जुड़े मामलों का सबध किसी पूजा-पद्धति से नहीं है, बल्कि इनका संबंध इंसानियत से है। निसंवत्तन व्यक्ति यदि किसी विवाह के लिए अलग-अलग विधि में व्यापक परिवर्तन किए गए। पहले हिंदू पुरुष एक से अधिक शादियां कर सकते थे, जिस पर हिंदू विवाह अधिनियम के जरिये प्रतिवध लगा दिया गया। उससे उसे सुरक्षा बोध का एसास होता है, तो इससे किसी पूजा-पद्धति की अवमानना कैसे हो सकती है? यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग

होने वा पति के नाराज होने के बाद दर-ब-दर भटकने के बाजाय उसके लिए ऊजरे-भत्ते की व्यवस्था की जाती है, तो इसमें धर्म कहां से आड़े आता है। महिला-पुरुष के वैवाहिक संबंधों में यदि समानता सुनिश्चित की जाती है, तो यह किसी भी सभ्य समाज के लिए शायद नहीं। बल्कि विषय होना चाहिए।

आजादी के बाद इस दिशा में सकारात्मक पहल की गई। समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक हिंदू विवाह विधि में व्यापक परिवर्तन किए गए। पहले हिंदू पुरुष एक से अधिक शादियां कर सकते थे, जिस पर हिंदू विवाह अधिनियम के जरिये प्रतिवध लगा दिया गया। उससे उसे सुरक्षा बोध का एसास होता है, तो इससे किसी पूजा-पद्धति की अवमानना कैसे हो सकती है? यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग

होने वा पति के नाराज होने के बाद दर-ब-दर भटकने के बाजाय उसके लिए ऊजरे-भत्ते की व्यवस्था की जाती है, तो इसमें धर्म कहां से आड़े आता है। महिला-पुरुष के वैवाहिक संबंधों में यदि समानता सुनिश्चित की जाती है, तो यह किसी भी सभ्य समाज के लिए शायद नहीं। बल्कि विषय होना चाहिए।

आजादी के बाद इस दिशा में सकारात्मक पहल की गई।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उत्तरने के लिए समाज नागरिक अदालत के कई निर्देश भी इस संघर्ष पर होंगे।

सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की

जिले के सभी तहसीलों में लगा वृहद राजस्व समाधान शिविर

जनसामान्य को एक ही स्थान में राजस्व से जुड़े सभी प्रकार की सेवाओं का मिला लाभ

जोहार छत्तीसगढ़-
रायगढ़।

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की पहल पर जिले के तहसील स्तर पर विभिन्न राजस्व प्रकरणों के निराकरण एवं लोगों का राजस्व मामलों में राहत दिलाने के उद्देश्य से आज सभी तहसीलों में वृहद राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। जहां एसडीएम, तहसीलदार, अराइंड एवं हक्का के पास उपस्थिति है। इसके साथ ही राजस्व शिविर में जिला स्तर पर भी डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, अपर कलेक्टर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोजित वृहद राजस्व शिविर में खाता बिभाजन, नामांतरण, किसान-किताब, आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र, आरटीसी 6-4, डिजिटल हस्ताक्षर, डायवर्सन कर बस्ती, सीमांकन, व्यवर्तन, भू-अर्जन, राजस्व से संबंधित अन्य प्रकरणों का आवेदन प्राप्त कर मौके पर निराकरण किया गया।

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि सभी तहसीलों में राजस्व



कलेक्टर सहित जिले के विविध अधिकारी पहुंचे राजस्व शिविर में

प्रकरणों के नियन्त्रण के लिए राजस्व शिविर लाया गया है। उन्होंने यहां अवेदकों से चर्चा करते हुए उनकी समस्याएं सुनी एवं अधिकारियों को त्वरित नियन्त्रण के लिए दिए। कलेक्टर सिन्हा ने रायगढ़ तहसील कार्यालय में अपने बैठक हैरान का जाति प्रमाण-पत्र आवेदन लेकर आए थे। उन्होंने विवाह से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शिविर में सबसे अधिक आवेदन कराया गया अपर प्राथमिकता है और वृहद राजस्व शिविर का आवेदन कराया गया। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा रायगढ़, पुरी एवं खरीदिया तहसील में आयोजित राजस्व शिविर का

नियन्त्रण भी किया। उन्होंने यहां अवेदकों से चर्चा करते हुए उनकी समस्याएं सुनी एवं अधिकारियों को त्वरित नियन्त्रण के लिए दिए। कलेक्टर सिन्हा ने रायगढ़ तहसील कार्यालय में अपने बैठक हैरान का जाति प्रमाण-पत्र आवेदन लेकर आए थे। उन्होंने विवाह से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शिविर में सबसे अधिक आवेदन कराया गया अपर प्राथमिकता है और वृहद राजस्व शिविर का आवेदन कराया गया। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा रायगढ़, पुरी एवं खरीदिया तहसील में आयोजित राजस्व शिविर का

नियन्त्रण के लिए आए।

इसी क्रम में कलेक्टर सिन्हा

जिला ग्रन्थालय में होगा कैरियर गाइडेंस

सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव छात्रों को देंगे मार्गदर्शन

जोहार छत्तीसगढ़-
रायगढ़।



रेंज छात्रों को मार्गदर्शन दें।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सिन्हा की विशेष पहल पर रायगढ़ जिला में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी एवं रोजगार के अवसरों के लिए विशेष मार्गदर्शन एवं कार्यालय कश्यों जिला ग्रन्थालय रायगढ़ में संचालित किए जा रहे हैं, इसके साथ ही वर्षानि 15 वर्ष (16 वर्ष से 30 वर्ष वे वर्ष) के लिए नियन्त्रण विधिवत तरीके से किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति प्राप्तिरासे पटवारी की जानकारी ली, साथ ही प्राप्त आवेदनों की जानकारी के लिए एवं गवायी यादव के पिता से बात करने से उन्होंने बताया की दोनों बेटियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने आए हैं। इसी तरह बंटवारा का अवेदन लेकर पहुंचे सुदामा गुरा, नया ऋण पुरस्तका के लिए आए।

जिला ग्रन्थालय रायगढ़ में सीईओ

जिला ग्रन्थालय में होगा कैरियर गाइडेंस

जिला ग्रन्थालय में होगा कैरियर गाइ

